न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 66/2023 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2023/89**

1. सूखा सिंह पुत्र प्यारा सिह जाति बावरी निवासी चक 4 जेड.डब्ल्यू.एम तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. लखवीर सिंह पुत्र छोटा सिंह जाति मजबी निवासी 49 जीबी करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. वकील सिह छोटा सिंह जाति मजबी निवासी 49 जीबी करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. कुलविन्द्र कौर पत्नी छोटा सिंह जाति मजबी निवासी 49 जीबी करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) घडसाना (श्रीगंगानगर)

– रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री विजय भादाणी — अभिभाषक अपीलांट
श्री राजकुमार व्यास — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग-बीकानेर

निर्णय

दिनांक 01.04.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 08.07.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि तहसील घडसाना के चक 4 जैड डब्ल्यू एम का पत्थर नं 229/15 की 6.198 हैक्टयर कमाण्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 के पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पति छोटा सिंह के नाम दर्ज थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 के पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पति छोटा सिंह ने एक तथाकथित वसीयत अपीलांट के पक्ष में दिनांक 19.07.1997 को की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वसीयत के आधार पर अपीलांट के नाम इंतकाल संख्या 181 दिनांक 27..04.2009 दर्ज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने उक्त इंताकल संख्या 181 के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूतरगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूतरगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 08.07.2022 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 की अपील को दस्तावेजों का पुनः अवलोकन कर तथा मृतक छोटा सिंह के समस्त वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार निर्णय करने हेतु रिमाण्ड कर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दी। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ के उक्त आदेश दिनांक 08.07.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक भी लीगल हैयस को तभी अधिकार प्राप्त होंगे तब मूल व्यक्ति निंवसीयत मर जाता है इस प्रकरण में छोटा सिंह ने अपने जीवनाकाल में वसीयत कर दी है जो आज दिन भी प्रभाव में है जो किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नही की है इसके बावजूद भी तहसीलदार ने विरास्तन इंतकाल चढाने में कानूनन भूल की है। रेस्पोडेन्ट्स ने एक फौजदारी मुकदमा अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था उसमें अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनामा हो गया तथा उन्होने अपीलांट के पक्ष में हुई वसीयत को सही माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने छोटासिंह की स्वअर्जित भूमि जो उसने जरिये विक्रय पत्र खरीद की गई थी, उसमें यह कहकर कि वसीयत पूर्व की है इस कारण मामला रिमाण्ड किया गया जो सही नही है। इंतकाल विक्रय पत्र का आधार नहीं हो सकता। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्टया मियाद बाहर थी, तथा उत्तराधिकारियों को धारा 40 आरटी एक्ट के मुताबिक कोई अधिकार हासिल नही थे इस प्रकार मियाद बाहर अपील व बिना लोकस स्टेण्डाई होते हुए अपील को रिमाण्ड को किया गया है। अपीलांट के नाम से इंतकाल दर्ज करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी, उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट ने कोई ऐतराज प्रस्तुत नही किये जिसका उनको भलीभाति ज्ञान था। उक्त वादगत भूमि पर उनका कब्जा नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे लिखा है कि धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 कानून मियाद का कोई जवाब पेश नही किया गया है यह तथ्य विधिसम्मत नही है। धारा 3 कानून मियाद के मुताबिक यदि कोई अपील मियाद बाहर है उस पर आपत्ति नहीं की जाती है तो भी उसे मियाद के बिन्दू का विश्लेषण करके निर्णय करना चाहिए। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2022 निरस्त फरमाया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया है कि तहसील घडसाना के चक 4 जैड डब्ल्यू एम का पत्थर नं 229/15 की 6.198 हैक्टयर कमाण्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 के पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पति छोटा सिंह के नाम दर्ज थी। जिनका देहान्त दिनांक 14.08.2006 को हो चुका है देहान्त उपरांत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 मृतक छोटासिंह के प्रथत श्रेणी के विधिक एवं जायज वारिसान हैं। अपीलांट द्वारा छोटासिंह के नाम की उपरोक्त कृषि भूमि की तथाकथित वसीयत दिनांक 19.07.1997 के प्रकाश में एक प्रार्थना—पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्र प्रशांत ज्योति में प्रकाशन करवाकर एवं गवाह मखनसिंह के बयान लिये जाकर दिनांक 30.04.2008 को वसीयत के आधार पर प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर पटवारी हल्का के नाम आदेश जारी किये गये। जिस पर पटवारी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हल्का द्वारा प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उक्त वसीयत दिनांक 19.07.1997 का गहन निरीक्षण कर आगामी आदेश पारित किया जावे तो उचित होगा। उक्त रिपोर्ट को दरकिनार कर तहसीलदार राजस्व घडसाना द्वारा आदेश जारी कर उक्त रकबा का वसीयत अनुसार इंतकाल संख्या 181 दिनांक 27.04.2009 को अपीलांट के नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त वादगत भूमि का बैयनामा के प्रकाश में इंतकाल स्व. छोटा सिंह के नाम से दिनांक 15.09. 1998 को दर्ज हुआ। यहां यह निवेदन करना युक्ति युक्त होगा कि इंतकाल संख्या 66 के कॉलम संख्या 14 में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि बैयनामा रजि. दिनांक 29.12.1977 द्वारा एस आर घडसाना एवं इसी बेदप्रकाश मे कॉलम संख्या 16 में यह दर्ज है कि बैयनामा का इंतकाल दर्ज करके वास्ते मन्जूरी पेश है अर्थात उक्त रक्बा का इंतकाल जरिये बैयनामा दिनांक 29.12.97 के आधार पर दिनांक 15.09.1998 को स्वीकृत हुआ। ऐसी स्थिति में वसीयत दिनांक 19.07.1997 छोटासिंह द्वारा निष्पादित किये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता। यानि 19.07.1997 को जिस संबंध के अधिकार ही सृजित नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में कथित वसीयत दिनांक 19.07.1997 निष्पादित करने का मृतक छोटासिंह को कतई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त तथ्यों की ताईद पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.10. 2008 को प्रकरण संख्या 11/2008 में प्रस्तुत की थी। इस कानूनी एवं महत्वपूर्ण बिन्दूओं को दरकिनार कर अधिनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित किया जो काबिल निरस्ती है। जब मृतक छोटासिंह को जब अपीलाकृत कृषि भूमि के संबंध में कोई अधिकार ही प्राप्त हनी हुए थे तो ऐसी स्थिति में सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत तथाकथित वसीयत का कोई औचित्य नही रहा जाता । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने उक्त प्रकरण को तहसीलदार(भू.अ) अनूपगढ़ को पुनः दस्तावेजों का अवलोकन कर तथा मृतक छोटा सिंह के समस्त वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 08.07.2022 में अंकित किया कि छोटासिंह द्वारा वादगत भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खानू पुत्र रिडमल जाति नायक से दिनांक 29.12.1997 को क्रय की गई थी। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा छोटा सिंह द्वारा दिनांक 19.07.1997 को निष्पादित की गई वसीयत के आधार पर आदेश दिनांक 30.04.2008 पारित किया है तथा उस आदेश के आधार पर इंतकाल 181 दिनांक 27.04.2009 दर्ज किया गया है। चूंकि जब छोटा सिंह द्वारा भूमि दिनांक 29.12.1997 को खरीद की गई थी तो दिनांक 19.07.1997 की गई वसीयत संन्देहास्प्रद प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ द्वारा सन्देहास्प्रद

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वसीयत के आधार पर आलौच्य निर्णय पारित किया गया हैं। तहसीलदार अनूपगढ़ ने उक्त निर्णय पारित किये जाने से पूर्व छोटा सिंह के विधिक वारिसान को सुना भी नहीं गया। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 08.07.2022 को कानून सम्मत् पारित किया गया हैं और अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ के उक्त निर्णय दिनांक 08.07.2022 को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 08.07.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 08.07.2022 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग-बीकानेर